दिनांक–21.02.2026 को अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) के साथ विभागीय MVS, SVS एवं PWS योजनाओं के विद्युत विपत्रों के भुगतान की वर्त्तमान स्थिति एवं विभागीय पत्रांक–6बी/वि0–107/2023–255 दिनांक–12.02.2026 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र (38 कॉलम प्रपत्र) के अद्यतन प्रविष्टि इत्यादि कार्यो की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – विवरणी अनुसार।

1. सभी कार्यपालक अभियंताओं एवं सभी अधीक्षण अभियंताओं को विभागीय पत्रांक – 6बी/वि0–107/2023–255 दिनांक–12.02.2026 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र (38 कॉलम प्रपत्र) में अद्यतन प्रविष्टि करते हुए संबंधित मुख्य अभियंता के मंतव्य के साथ वांछित प्रतिवेदन 03 दिनों के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी प्रमंडल/अंचल के द्वारा तत्संबंधित वांछित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं एवं सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेश दिया गया कि दिनांक–27.02.2026 तक तत्संबंधित वांछित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय प्रमंडलों के द्वारा अभी तक वैसे विद्युत उपभोक्ता संख्यायें, जो विभाग से संबंधित नहीं है, को Untag नहीं कराया गया है। संबंधित अधीक्षण अभियंताओं (यांत्रिक सहित) को निदेशित किया गया कि विद्युत विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं अधीनस्थ कार्यपालक अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित कर अगले 01 सप्ताह के भीतर वैसे विद्युत उपभोक्ता संख्यायें, जो विभाग से संबंधित नहीं है, को Untag कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन–सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/ सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी ।

3. समीक्षा के क्रम में अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0) द्वारा सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधीन कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) एवं सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक रूप से विद्युत मीटर अधिष्ठापन, विद्युत संबंधित अन्य समस्याओं के निराकरण तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभागीय MIS पर अपलोड किये जा रहे विद्युत विपत्रों के भुगतान एवं बकाया सहित विद्युत विपत्रों से संबंधित अन्य सूचनाओं की प्रविष्टि इत्यादि कार्यो की नियमित रूप से समीक्षा कर त्रूटिरहित प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन–सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी ।

4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS में Electric Activity Module में विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के Mapping में कतिपय त्रूटियाँ है। सभी अधीक्षण अभियंताओं (यांत्रिक सहित) को निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के माध्यम से अगले 03 (तीन) दिनों के भीतर तत्संबंधी त्रूटियों का निराकरण कराते हुए MIS में शत्प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता संख्याओं का त्रूटिरहित Mapping कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन– सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) /सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी ।

5. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत विपत्रों में विद्युत उर्जा खपत शून्य अथवा अत्यल्प हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि जलापूर्ति योजनायें अक्रियाशील अथवा अल्प क्रियाशील है। इस संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विद्युत खपत के आधार पर जलापूर्ति योजनाओं की सतत् क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु एवं विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अपने क्षेत्राधीन अवर प्रमंडलवार संबंधित संवेदक/एजेंसी, कनीय अभियंताओं, सहायक अभियंताओं एवं सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारियों के साथ सप्ताहिक रूप से लगातार बैठक आयोजित कर सम्यक समीक्षा करेगें एवं योजनाओं के अक्रियाशील होने के स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करेगें।।

अनुपालन – सभी अधीक्षण अभियंता।

6. समीक्षा के दौरान अभियंता प्रमुख –सह– विशेष सचिव (मुख्यालय) द्वारा निदेशित किया गया है कि वैसे शहरी जलापूर्ति योजनायें जो वर्त्तमान में भी विभागीय प्रमंडलों द्वारा संचालित की जा रही है, को विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित समय सीमा के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्थानीय ईकाई को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)।

7. समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि कतिपय जलापूर्ति योजनाओं पर अभीतक स्मार्ट विद्युत मीटर का अधिष्ठापन नहीं हो सका है, जिसपर खेद व्यक्त किया गया। सभी अधीक्षण अभियंताओं (यांत्रिक सहित) को निदेशित किया गया कि वैसे जलापूर्ति योजनायें जहाँ स्मार्ट

विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं है, वहाँ स्मार्ट विद्युत मीटर का अधिष्ठापन कराने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, सहायक यांत्रिक अभियंता सह नोडल पदाधिकारियों एवं कनीय अभियंताओं (यांत्रिक सहित) के साथ नियमित बैठक आयोजित कर तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अगले एक माह के भीतर शत्प्रतिशत स्मार्ट विद्युत मीटर का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगा।

अनुपालन– सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) / सभी सहायक अभियंता / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी / सभी कनीय अभियंता (यांत्रिक सहित) ।

8. वैसे जलापूर्ति योजनायें जिनके विद्युत विपत्रों के बकाये राशि का भुगतान प्रमंडलों द्वारा स्वयं किया जाना था, के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों के बकाये राशि का केन्द्रीकृत रूप से मार्च 2025 में भुगतान किया गया है। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि केन्द्रीकृत भुगतान की राशि का समायोजन विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कतिपय संवेदकों / एजेंसियों द्वारा भुगतेय जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के बकाये राशि के विरूद्ध भी कर दिया गया है। संवेदकों / एजेंसियों द्वारा भुगतेय जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध उक्त समायोजित राशि को हटाकर, वैसे जलापूर्ति योजनायें, जिनके विद्युत विपत्रों का भुगतान प्रमंडलों द्वारा स्वयं किया जाना है, पर समायोजित करवाना नितांत आवश्यक है। सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेशित किया गया कि इसकी गहन समीक्षा करते हुए केन्द्रीकृत रूप से भुगतान की गई राशि, जिसे विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा संवेदकों / एजेंसियों द्वारा भुगतेय जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं पर समायोजित कर दिया गया है, को हटाकर वैसे जलापूर्ति योजनायें जिनके विद्युत विपत्रों के बकाया राशि का भुगतान प्रमंडलों द्वारा स्वंय किया जाना है, पर समायोजित कराना सुनिश्चित करेगें तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन मुख्यालय में उपलब्ध करायेगें। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में यह माना जायेगा कि उनके अधीनस्थ प्रमंडलों में इस प्रकार के मामले नहीं है। भविष्य में इस प्रकार का मामला उजागर होने पर संबंधित अन्य अभियंताओं के साथ–साथ अधीक्षण अभियंता को भी दोषी माना जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालन– सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता – सह – नोडल पदाधिकारी ।

9. समीक्षा के क्रम में संज्ञान में लाया गया कि सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा बॉयोमैट्रिक मशीन खराब होने के कारण बॉयोमैट्रिक में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे है। इस प्रकार के कई अन्य मामले भी हो सकते है। इस क्रम में निदेशित किया गया कि वैसे यांत्रिक अवर प्रमंडल, जहाँ बॉयोमैट्रिक मशीन खराब है, के सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी तत्काल अपने नजदीकी असैनिक प्रमंडल/यांत्रिक प्रमंडल में अधिष्ठापित बॉयोमैट्रिक मशीन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) सुनिश्चित करेगें कि उनके अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी शतप्रतिशत बॉयोमैट्रिक मशीन में उपस्थिति दर्ज करें तथा बॉयोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधीन कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का शतप्रतिशत बॉयोमैट्रिक मशीन में उपस्थिति दर्ज करने संबंधी कार्य का पाक्षिक रूप से अनुश्रवण करेगें एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन संबंधीत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अपने क्षेत्राधीन सभी प्रमंडलों/अवर प्रमंडलों (यांत्रिक सहित) के खराब बॉयोमैट्रिक मशीनों को यथाशीघ्र ठीक कराना सुनिश्चित करायेगें। भविष्य में यदि बॉयोमैट्रिक उपस्थिति के बिना वेतन भुगतान किया जाता है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों सहित वेतन निकासी में संलग्न अन्य कर्मियों को भी उत्तरदायी माना जायेगा एवं तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालन– सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) /सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/ सभी सहायक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता – सह – नोडल पदाधिकारी ।

10. समीक्षा के दौरान अभियंता प्रमुख –सह– विशेष सचिव (मुख्यालय) द्वारा सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) को निदेशित किया गया है कि पूर्व में मुख्यालय में सम्पन्न प्रत्यक्ष बैठकों (Physical Meeting) में दिये गए निदेशों से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में मुख्यालय में समर्पित करने के साथ–साथ मुख्यालय में होने वाले आगामी प्रत्यक्ष बैठक (Physical Meeting) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन– सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) ।

बैठक के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक– 14/यां०क–01–106/25–214 दिनांक– 09/3/26

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र,बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,बिहार/सभी सहायक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,बिहार/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक– 214 दिनांक– 09/3/26

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/ अपर सचिव / सभी मुख्य अभियंता (उ0बि0/द0बि0/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आई0टी0, मैनेजर/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक– 214 दिनांक– 9/3/26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0)